

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1898

In the Court of Tarunendra pratap singh Judicial Magistrate First Class Barhi

Crime No. 553/2022 Complaint or report made on.

Sum No. 261/2022

Name and address of the complainant :-

अभियुक्त/गण का नाम व पता

दीपक कोटी S/O पंचराम कोटी
उम्र 22 साल निवासी खिवाली
PS बरही जिला कटनी (मोप्रो)

परिवादित अपराध का विवरण

01. यह कि आपने दिनांक 07/05/22 को समय 04:30 PM आरक्षी केन्द्र
बरही/आबकारी वृत्त बड़वारा के अंतर्गत खिवाली PS बरही बिना किसी वैध
अनुमति के अपने आधिपत्य में मादक द्रव्य अर्थात् देशी मदिरा/विदेशी मदिरा 03 लीटर
विक्रय, विनिमय व वितरण हेतु रखा। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा-34(1-क)
म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

इस सम्बंध में आपको अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

(तरुण एम.एफ.सी. सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (मोप्रो)

अभियुक्त/गण का अभिवाक एवं परीक्षण (यदि किया हो)-

अभियुक्त/गण को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाई गई जिस पर

अभियुक्त/गण का अभिवाक :-

आरोप स्वीकार है
दीपक कोटी

(तरुण एम.एफ.सी. सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (मोप्रो)

नोट-अभियुक्त/गण का अपराध स्वीकारोक्ति का अभिवाक, अपराध की विशिष्टियों के संदर्भ में यथासंभव,
अभियुक्त/गण के शब्दों में ही दर्ज किया जावे।

/// निर्णय ///
(आज दिनांक 14.10.2022 को घोषित किया।)

- 1- आरोपी/आरोपीगण के विरुद्ध धारा 34(1-क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 2- आरोपी/आरोपीगण के विरुद्ध उक्त धारा के तहत पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध होने से अपराध की विशिष्टियां आरोपी को सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। इस समरी शीट के आगे अपराध विवरण विरचित कर प्ली अंकित की गई।
- 3- आरोपी/आरोपीगण द्वारा अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार करने से आरोपी/आरोपीगण के विरुद्ध प्रथक से अपराध साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी/आरोपीगण ने आगे अपराध विवरण में विरचित उक्त अपराध कारित किया है।
- 4- आरोपी/आरोपीगण द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति को देखते हुए आरोपी/आरोपीगण धारा 34(1-क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपी/आरोपीगण को उक्त धारा में 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 5- जप्तशुदा मादक द्रव्य अर्थात विदेशी मदिरा होने पर संबंधित विभाग को वापिस की जावे/जप्तशुदा मादक द्रव्य अर्थात देशी कच्ची महुआ शराब होने की स्थिति में मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

14.10.22
(तरुणेन्द्र प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बरही, जिला कटनी (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

14.10.22
(तरुणेन्द्र प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बरही, जिला कटनी (म.प्र.)